ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 189-194

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

दिनेश कुमार मौर्य

शोध अध्येता– एम0ए0 (समाजशास्त्र) यू0जी0सी0 (नेट), राजा श्री कृष्णदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर (उ0प्र0) भारत

Received-19.11.2022, Revised-25.11.2022, Accepted-30.11.2022 E-mail: dineshphd2012@gmail.com

सारांशः ***समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी सुदृढ़ रहेगी समाज उतना ही विकसित और उन्नत होगा। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति खासकर सामाजिक, आर्थिक रूप में बहुत सशक्त नहीं रही है। भारतीय समाज में बहुत सारी कुप्रथाओं जैसे– शिशु–भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सतीप्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह ने स्त्रियों की स्थिति निम्न स्तर पर पहुँचा दिया। इसके लिए हमारे समाज की सोच व पुठषवादी मानसिकता कही न कही जिम्मेदार है। इसी सन्दर्भ में प्रसिद्ध नारीवादी व चिंतक लेखिका साइमन द बोउवार ने अपनी पुस्तक The Second Sex में नारी की अधीनता का उसके जैविकीय ऐतिहासिक और नृजातीय परिप्रेक्ष्य में पूरी गहराई से विश्लेषण की है। वे कहती है कि "नारी पैदा नही होती, अपितु बनाई जाती है।" नारी की इस गिरी हुई हीन दशा के लिए बोउवार ने पितृसतात्मकता की प्रथा को उत्तरदायी माना है।*** [1]

कुंजीभूत शब्द– भारतीय समाज, शिशु–भ्रूण हत्या, बाल विवाह, सतीप्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह, पुठषवादी मानसिकता।

आधुनिक षिक्षा के साथ–साथ सामाजिक सुधारों से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता के बाद स्त्रिओं के लिए किये गये कल्याणकारी उपाय संवैधानिक प्रावधान, षिक्षा प्रबन्ध राजनीति, आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ने से उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। आज की भारतीय स्त्रियॉ ग्रामीण क्षेत्रों से षहरों तक उत्कृष्टता के नये आयाम गढ़ रही है न केवल देश की सीमा के अन्दर अपितु वैश्विक समाज में भातीय स्त्रियॉ अपना स्थान बना नही है। जहॉ एक, तरफ मध्यकालीन ऐतिहासिक घटनाओं ने स्त्रियों की स्थिति को कमजोर बनाया वही आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक घटनाओं ने स्त्रियों की स्थिति को वर्तमान में पुरूष प्रधान समाज में मजबूत बनाया है। इस प्रका महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसके विविध आयाम को समझा जाय। अतः महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम कुछ इस प्रकार है।

महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम– महिला सशक्तिकरण से संबद्ध आयामों में सामाजिक आयाम के अन्तर्गत समाज में कानून व सुरक्षा का पाया जाना अपराधीकरण पर रोक महिला उत्पीडन को दूर करना तथा दण्ड व्यवस्था में सुधार करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता सामाजिक व पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने के अधिकार सत्ता तथा संपत्ति में पुरूषों के समान अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं सामाजिक संस्थाओं में भागीदारी महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को निर्धारित करती है।[2] महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम के तहत मूलभूत आवश्यकताओं, आर्थिक सुरक्षा, क्षमताओं के विकास, सम्मानित जीवनयापन आदि को सम्मिलित किया गया है। महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत सामाजिक आयामों में स्वयं से निर्णय लेने में महिलाओं के अधिकार, विवाह के सम्बंध में निर्णय लेने के अधिकार, विधवा पुनर्विवाह, भरण–पोषण, तलाक के बाद पुनर्विवाह, अनचाहे गर्भ से सम्बंध अधिकार, परिवार नियोजन में निर्णय लेने में अधिकार तथा अनेकों प्रकार के महिलाओं से जुडे अधिकार से सम्बंधित निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता सामाजिक आयाम को तय करती है। सामाजिक मुद्दों के रूप में महिलाओं के विरूद्ध हुए उत्पीडन, असमान व्यवहार तथा समाज से सम्बद्ध निर्णयों में स्त्रियों को प्राथमिकता नहीं दी गई। जिसके कारण भारतीय स्तर पर दहेज, मृत्यु, असमानता, पति व अन्य सम्बंधियों द्वारा क्रुरता के विरोध में विभिन्न सामाजिक कानून बनाये गये जे इस प्रकार है– पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984, दहेज निषेध अधिनियम, 2005, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (2005 में संशोधन महिलाओं के अधिकार का विस्तार, पैतृक सम्पत्ति में अधिकार)[3]

सारणी–0.1

महिलाओं को अपने मूल अधिकारों के प्रति स्वयं से निर्णय लेने में उत्तदाताओं के विचार–

स्वयं से निर्णय लेने में बढ़ोत्तरी हुई है	आवृत्ति	प्रतिशत
हॉं	128	64.00
नहीं	62	31.00
कोई जवाब नहीं	10	5.00
योग	200	100.00

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

उर्पयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि 64.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि महिलाओं को अपने मूल अधिकारों के प्रति स्वयं से निर्णय लेने में वृद्धि हुई है। 31.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का इस कथन के प्रति नकारात्मक जवाब था। शेष 5.00 प्रतिशत उत्तरादाताओं ने इस सम्बंध में कोई जवाब नहीं दिये। अतः हम कह सकते है कि ज्यादातर उत्तरदाताओं के सकारात्मक विचार है कि आज महिलाओं में निर्णय लेने में अधिकार बढ़े है।

सारणी–0.2

महिलाओं के लिए बनाये गये कानूनों से उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति उत्तरदाताओं के विचार–

कानूनों से महिलाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ा है	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	131	65.50
नहीं	45	22.50
कोई जवाब नहीं	24	12.00
योग	200	100.00

महिलाओं के लिए बनाये गये कानूनों के प्रति जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि इससे उनके जीवन पर बचा प्रभाव पड़ा तो 65.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसका सकारात्मक जवाब दिया, 22.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सम्बंध में नकारात्मक जवाब दिया तथा शेष 12.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का इस सम्बंध में कोई जवाब नहीं था। अतः शोध उपलब्धि से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के लिए बनाये गये विभिन्न कानूनों से उनके जीवन पर पडने वाले प्रभाव के प्रति ज्यादातर उत्तरदाताओं का सकारात्मक रूख रहा है।

महिलाओं के लिए बनाये गये कानूनों में न केवल महिलाओं के पारिवारिक दृष्टिकोण बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। इसका उद्देश्य समाज में महिलाओं के विकास के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार करना है। विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं और जागरूकता ने महिलाओं को उन्नत किया है। ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण मनरेगा में भागीदारी, आंगनबाडी आषा कार्यकर्ता जैसी नई भूमिकाओं ने वास्तव में महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान की है।

किसी भी समाज में उसके सदस्यों की प्रस्थिति का महत्वपूर्ण सूचक उसकी आर्थिक और सामाजिक भागीदारी होती है। महिला सशक्तिकरण के आर्थिक आयाम– महिलाओं द्वारा लिये गये आर्थिक अधिकारों के अन्तर्गत स्व अर्जित आय से संबद्ध निर्णय, आर्थिक सशक्तता सहित निर्णय लेने की क्षमता, आर्थिक सवावलम्बन महिलाओं को आर्थिक रूप से सषक्त करती है। महिलाओं के सषक्तिकरण के प्रयासों के अन्तर्गत गरीब महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सूक्ष्म ऋण देने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष का गठन 1963 में किया गया। आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का वह आयाम है जिसमें महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता का प्रयोग स्वतंत्र तरीके से करने योग्य क्षमता का निर्माण कर सकें। तथा महिलाओं का आर्थिक विकास उस रूप में सफल हो सकता है जिसमें वे जीवन निर्वाह की मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं जैसे आहार, कपडा, शिक्षा, आवास आदि का गौरव पूर्ण तरीके से उपभोग कर सके। वर्ष 2009 में गरीब महिलाओं के पारम्परिक कार्यो में कौशल विकास व नवीन जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से महिलाओं के प्रतिक्षण व रोजगार सहयोग हेतु कार्यक्रम (स्टेप) आरम्भ किया गया है। वर्ष 2010 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना आरम्भ की गई इसके अन्तर्गत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों के समन्वय से महिलाओं के विकास को प्रोत्साहन देना है। वर्श 1985–86 में इन्दिरा आवास योजना चलाई गई जिसका उद्देश्य ग्रामीण विधवा, कमजोर और उपेक्षित महिला के लिए आवास उपलब्ध कराना इसके अलावा महिलाओं के अवैध व्यापार से मुक्ति व उनकी सुरक्षा तथा पुनर्वास के लिए 2007 में उज्जवला योजना शुरू की गई। वर्ष 1993 में महिलाओं में पोषण शिक्षा योजना शुरू की गई।

वर्ष 1993 में महिलाओं में पोषण और बाल विकास की समस्या के समाधान के लिए पोषण शिक्षा योजना शुरू की गई, इसके साथ ही 2003 से राष्ट्रीय पोषण मिशन चलाया जा रहा है। वर्ष 2011 में गरीबी रेखा से निचे की महिलाओं को प्रसव सुविधा, भोजन, रक्त आदि की मुफ्त व्यवस्था प्रदान करने के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना आरमभ की गई। लड़कयों को शिक्षा देने तथा बाल विवाह की प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए 2008 में धनलक्ष्मी योजना आरम्भ की गई।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु समय–समय पर ऐसे ही अनेको योजनाएं चलाई जा रही है। जिससे महिलाओं का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। विगत 50 वर्षो में महिलाओं द्वारा रोजगार एवं व्यवसाय से संबद्ध अनेकां निर्णय लिए गये है। वर्तमान समय में महिलाओं के आर्थिक स्तर की प्रामाणिकता किसी भी देश व समाज के विकास स्तर के आधार पर की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में महिला संघर्ष एवं भारतीय इतिहास को देखते हुए संविधान में सामाजिक परिवेश में असमानता दूर करने के लिए प्रयास किये गये जिनसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिला

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं में जागरूकता देखी गई। वे शिक्षा ग्रहण कर परिवार की आर्थिक गतिविधियों में सहयोग कर रही है।

महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता वैश्विक स्तर पर 8 प्रतिशत से 77 प्रतिशत तक है। विकासशील राष्ट्रो में महिला सहभागिता का प्रतिशत क्रमशः 43 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तथा 37 प्रतिशत तक रहता है। भारतीय सन्दर्भ में यह मानक 28 प्रतिशत है।[4]

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना सामाजिक दायित्वों के प्रति लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और प्रेरित करती है कि समाज के उन संवेदनशील वर्गो के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए जिन्हें समाज ने संवेदनशील बनाया है। आज विश्व समुदाय में महिला अधिकार की महिला सशक्तिकरण की चर्चा हो रही है, जिसका उद्देश्य आधी आबादी को समाज की मुख्यधारा में ष्शामिल करना है।

देश में शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करना और स्त्रियों को गुणवत्तापूर्ण व रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम और प्रभावशाली कदम हो सकता है।

सारणी–0.3

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ रहा है के प्रति उत्तरदाताओं की अभिव्यक्ति।

रूप से सशक्त हो रही है।	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	111	55.50
नहीं	67	33.50
कोई जवाब नहीं	22	11.00
योग	200	100.00

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 55.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं में स्वालम्बन हेतु जागरू कता बढ़ी है। अब वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। 33.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का जवाब इस सम्बंध में नकारात्मक रहा है। षेश 11.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सम्बंध में कोई जवाब नहीं दिये। इस प्रकार हम कह सकते है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का जवाब इस मत के अन्तर्गत सकारात्मक है।

आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका– स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिला है। स्वयं गतिविधियों से शुरू किये जाते है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को स्व–विकास, दूसरों से मेलजोल स्वामित्व की भावना, आत्माभिव्यक्ति, स्वयं और इसरों की समस्याए सही परिप्रेक्ष्य में देखने उनका विश्लेषण करने एवं निर्णय लेने का अवसर उपलब्ध कराता है। ये सभी सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण घटक है।[5]

ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता के जरिये सामाजिक व आर्थिक बदलाव ला रही है। समाज के गरीब वर्गो में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, क्योंकि महिलायें परिवार व समाज की ऐसी सदस्य होती है, जिनके कंधों पर आने वाली पीढ़ियों की परवरिश की जिम्मेदारी होती है। महिलाएं गरीबी और सामाजिक उतपीड़न से सबसे ज्यादा प्रभावित हाती है। सरकार व स्वैच्छिक संगठन महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्तिकरण कर रहे है।

जौनपुर जनपद के बदलापुर ब्लॉक के अन्तर्गत पांच गॉवों के क्षेत्रीय शोध कार्य करने पर यह दृष्टिगत होता है कि इन गॉवों में अनेक स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा चलाये जा रहे है जिनमें ग्राम ऊदपुर गेल्हवा में 'हंसवाहिनी जनसेवा महिला स्वयं सहायता समूह है जिनमें 16 सदस्य है इस समूह की अध्यक्ष शिवदेवी जो बैंक सखी (पैसे जमा व निकासी का कार्य) है। इसके अतिरिक्त सिंहवाहिनी जनसेवा महिला स्वयं सहायता समूह है जो मव्स्य पालन, मुर्गी पालन का कार्य करती है। महिला वेतना आजिविका स्वयं सहायता समूह संगिनी जनसेवा महिला स्वयं सहायता समूह जिसमें 15 सदस्य है, अपराजिता स्वयं सहायता समूह जिनमें 12 सदस्य है और ये मुर्गी पालन कार्य करती है। ग्रामोदय आजीविका स्वयं सहायता समूह, अन्दयोदय आजीविका स्वयं सहायता है, जिनमें 13 सदस्य है और ये बकरी पालन का कार्य करती है।

ग्राम रूपचन्द्रपुर में मषाल आजीविका स्वयं सहायता समूह, दुर्गा जनसेवा महिला स्वयं सहायता समूह, लक्ष्मी जनसेवा महिला स्वयं सहायता समूह, गरिमा आजीविका स्वयं सहायता समूह सावित्री बाई फूले स्वयं सहायता समूह भीमा बाई स्वयं सहायता समूह। ग्राम मुरादपुर में स्वामी पेरियार जनसेवा महिला स्वयं सहायता समूह, श्रमजीवी जनसेवा महिला स्वयं सहायता समूह, सहेली जनसेवा महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम–भलुवाही में बाबा साहब आजीविका स्वयं सहायता समूह, दर्पण

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

महिला स्वयं सहायता समूह ग्राम सरोखनपुर में महिला जागृति जनसेवा महिला स्वयं सहायता समूह अम्बेडकर जनसेवा महिला स्वयं सहायता समूह आदि ऐसे ही अनेकों स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे है।

इन समूहों में प्रायः महिलाओं द्वारा जो उद्योग कार्य किये जा रहे है। वह इस प्रकार है, आइसक्रीम फैक्ट्री का स्मेटिक की दुकान, किराना की दुकान, ब्यूटी पार्लर सिलाई सेंटर, साइकिल रिपेयर की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन डेयरी उद्योग, बैंसखी, कपडा धुलाई एवं प्रेस कार्य आदि उद्योग का कार्य करके अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ कर रही है इससे महिला आर्थिक सषक्तिकरण में वृद्धि हो रही है, गांव व समाज उन्नत कर रहा है। ग्रामीण महिलाओं में भी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। इन शोध अध्ययन कार्य के आधार पर हम कह सकते है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं ने मेहनत व लगन के बल पर यह साबित कर दिया कि स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर एकनया मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह सक्रिय भूमिका निभा रहे है। सरकार द्वारा समय–समय पर समूहों में कार्य करने वाली महिलाओं को अनुदान देती रहती है। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से भी सहयोग प्राप्त होता रहता है। ऋण प्रदान करने व व्यक्तियों के बीच आपसी सहयोग से आर्थिक रूप में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास को देख सकते है। स्वयं सहायता समूहों से ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण की एक नवचेतना जागृित हुई है, जिससे गरीब महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होने में मजबूती सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूँठी पहल है।

इस सन्दर्भ में महिलाओं की प्रस्थिति में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका के बारे में उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों का विवरण कुछ इस प्रकार है–

स्वयं सहायता समूह से महिलाओं की सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है, के प्रति उत्तरदाताओं के विचार–

जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है	प्रवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	133	66.50
नहीं	48	24.00
कोई जवाब नहीं	19	9.50
योग	200	100.00

उपर्युक्त सारणी में यह स्पष्ट है कि 66.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि स्वयं सहायता समूह से महिलाओं की जीवन शैली, स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, 24.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का इस सम्बन्ध में नकारात्मक भाव रहा है 9.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का इस सम्बंध में काई जवाब नहीं रहा है। अतः इम कह सकते है कि अधिकांश उत्तरदाता इस सम्बंध में अपनी सहमति प्रदान किये कि स्वयं सहायता समूहो से ग्रामीण समाज की महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ रहा है।

महिला सशक्तिकरण के राजनीतिक आयाम– भारतीय संविधान न केवल महिलाओं को समानता का मूल अधिकार प्रदान करता है, अपितु उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में अलाभकारी स्थितियों का उन्मूलन करने के उपाय के लिए राज्यों को निर्देशित भी करता है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं की उन्नति के उद्देश्य से विभिन्न विकास नीतियों योजनाएं, कार्यक्रम व कानून भी क्रियान्वित किये है। महिलाओं के सशक्तिकरण का मूल प्रश्न यह है कि लोकतांत्रिक समाज में उन्हे उचित प्रतिनिधित्व व दर्जा प्राप्त हो यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीष मंचों पर राजनीतिक मुद्दों के रूप में स्थापित किया। इस सम्बंध में संयुक्त चार्टर के अतिरिक्त 1975 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष एवं दशक के अन्तर्गत महिलाओं के लिए समानता, विकास एवं शांति के उद्देश्यों का संकल्प 1979 में लैंगिक हिंसा को महिला गरिमा का हनन माना गया।

महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु तीन आधार भूत तत्वों को अनिवार्य माना गया है।

स्त्री पुरूष के मध्य समानता

स्वयं की क्षमताओं के पूर्ण विकास का महिलाओं का अधिकार

स्वयं के प्रतिनिधित्व व स्वयं के सन्दर्भ में निर्णय लेने का महिलाओं का अधिकार।[6]

महिलाओं की उन्नति व विकास के लिए आवष्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विशेषकर राजनीति में उनका सशक्तिकरण हो। वास्तविकता तो यह है राजनीतिक क्षेत्र में आज भी महिलाओं की भूमिका बहुत सषक्त नहीं मानी जा सकती निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी के अभाव में प्रायः स्त्रियों को संसाधनों के असमान वितरण, अपने हितों की उपेक्षा तथा अन्य वंचनाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को काफी लम्बे समय तक नीति विषय मामलों से दूर रजा गया। पाश्चाव्य संस्कृति में वैयक्तिक समानता के सिद्धांतों पर लोकतांत्रिक विचार धारा की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाने के साथ ही इसका प्रभाव

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

अन्य देशों पर भी पड़ा। भारतीय समाज में महिलाओं की समानता, स्वतंत्रता हेतु अनेक समाज सुधारक जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर व स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं के लिए अभिशाप बन चुके सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या, जैसे अमानुषिक कृत्यों को कानूनी तौर पर अपराध घोषित किया तथा महिलाओं को विधिवत शिक्षित किये जाने पर बल दिया। लम्बे संघर्ष के बाद भारत को मिली स्ववंत्रता में महिलाएं भी भागीदार थी। को स्वतः आवश्यक पाया गया जो महिला सशक्तिकरण में सहायक सिद्ध हुआ राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु सार्थक संवैधानिक प्रयास किये गये है। भारतीय संविधान द्वारा स्त्रियों की राजनीतिक समता को मान्यता दिया जाना न केवल परम्परागत भारतीय सामाजिक प्रतिमानों की तुलना में नया कदम था, अपितु तत्कालीन समय के उन्नत देशों के राजनैतिक आदर्शो से बढ़कर था। महिला सशक्तिकरण हेतु यह आवश्यक है कि वह स्वयं उन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में सहभागी हो जो उनके लिए बनाई जा रही है।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों तथा शहरी निकायों में सभी स्तरों पर एक–तिहाई स्थान आरक्षित करने हेतु संविधान में 1992 में 73 वॉ व 74 वॉ संविधान संशोधन किया गया जिसने महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि की। संविधान के अनुच्छेद 325 के अन्तर्गत निर्वाचक नामावती में महिला व पुरूष दोनो को समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी के अनुसार "स्त्रियों को मताधिकार तो होना चाहिए साथ ही साथ उन्हे कानून के तहत समान दर्जा भी मिलना चाहिए।"

संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार "स्त्री पुरूष के बीच किसी भी मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में धर्म, जाति मूलवंश लिंग जन्म–स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया अर्थात पुरूषों के समान स्त्रियों को लोक नियोजन में संरक्षण का अधिकार दिया गया है।[7]

महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक होगा कि निचले स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागीता हेतु किये गये प्रयासों को विस्तृत राष्ट्रीय स्तर पर पहुॅचाया जाय। राजनीतिक सहभागिता में बाधक तत्व स्थानीय, क्षेत्रिय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्त्रियों की असमान राजनीतिक भागीदारी से स्पष्ट होता है कि आज भी सभी समाजों में संरचनात्मक, अभिवृव्यात्मक व सांस्कृतिक बाधाएं आदि राजनीतिक सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक है।

सारणी–0.5

ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक सशक्तिकरण से उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है के प्रति उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति–

जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है	आवृत्ति	प्रतिशत
हॉ	139	69.50
नहीं	42	21.00
कोई जवाब नहीं	19	9.50
योग	200	100.00

ग्रामीण महिलाओं में उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के सम्बंध में जब पूछा गया तक 69.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि हॉ आज ग्रामीण महिलाए भी राजनीतिक रूप से सबल हुई है। 21.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का इस सम्बंध में नकारात्म जवाब था। शेष 9.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का इस सम्बंध में कोइ जवाब नही था। इस प्रकार इस सम्बंध में अधिकांश उत्तरदाताओं का जवाब सकारात्मक रहा।

महिला सशक्तिकरण के शैक्षिक आयाम– यदि आप एक पुरूष को शिक्षित करते है तो मात्र वह पुरूष ही शिक्षित होता, परन्तु एक महिला को शिक्षित करते है तो पीढिया दर पीढियां षिक्षित हो जाती है। शिक्षा वह माध्यम है जिसे प्राप्त कर महिलाएं खुद भी सशक्त होगी और समाज भी सशक्त होगा क्योंकि समाज की आधी आबादी महिलाएं है। शिक्षा से ही महिलाओं में दक्षता, कुशलता ज्ञान व क्षमता का विकास होता है। जितनी ज्यादा महिलाए शिक्षित होगी उतना ही कम उनका शोषण होगा। निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा और आत्मनिर्भरता आयेंगी। शिक्षा के द्वारा महिला असहाय व अबला से सशक्त व सबला बनती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किये तब उसमें समावेशी शिक्षा को अत्याधिक महत्व दिया गया। शिक्षा से वंचित वर्गो में पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। केन्द्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर अनेक योजनाएं शुरू की है इनमें 'बेटी बचाओ, बेटी बढोओ' योजना प्रमुख है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया इसका उद्देश्य देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है और इसके लिए बालिका लिंग अनुपात में गिरावट को रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों पर शिक्षा का प्रभाव– शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में अपने अधिकारो, हितो के प्रति जागरूकता आयी है, आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके व्यक्तित्व में निखार आया है। महिलाएं शिक्षा ग्रहण सामाय पद से उच्च पर तक पहुॅच रही है। प्रस्तुत अध्ययन में बदलापुर ब्लाक के अन्तर्गत 5 गांवों के क्षेत्रीय अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जहां पहले गांवों में लडकियों को शिक्षा प्रदान नही करवायी जाती थी, एक सोच थी कि लडकियॉ तो पराया धन है। आज ग्रामीण समाजों की सोच में बदलाव हुआ है। गांवों के पुरूषों व महिलाओं की सोच बदली है लोगो का मानना है कि शिक्षा से लड़कियों का सर्वांगिण विकास तो होगा साथ ही उनके विवाह करने में भी आसानी होगी। बदलापुर ब्लाक में अनेक स्कूल–कालेज है जहॉ सर्वाधिक संख्या लड़कियों की दिखाई देती है। हर–घर से लड़किया बाहर निकलकर शिक्षा प्राप्त कर रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव परिवार, गांव व समाज पर सकारात्मक रूप से पड़ा है। अब ये 'पढे बेटिया, बढ़े बेटिया' सुक्ति वाक्य को चरितार्थ कर रही है। इस सम्बंध में उत्तरदाताओ से प्राप्त तथ्यों का विवरण कुछ इस प्रकार है।

सारणी–0.6

महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों पर शिक्षा के प्रभाव, के प्रति उत्तरदाताओं के विचार–

शिक्षा से महिलाओं की स्थिति मे सुधार हुआ है	आवृत्ति	प्रतिशत
हॉ	163	81.50
नहीं	26	13.00
कोई जवाब नहीं	11	5.50
योग	200	100.00

उर्पयुक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि 81.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का इस सम्बंध में विचार सकारात्मक है, 13.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का तम इस सम्बंध में नकारात्मक है तथा शेष 5.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का इस सम्बंध में कोई जवाब नहीं था। अतः हम कह सकते है कि अधिकांश उत्तराताओं का विचार महिलाओं की स्थिति के सम्बंध में शिक्षा के प्रभाव के प्रति सकारात्मक थे।

निष्कर्ष– इस प्रकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षिक सभी प्रकार के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि सामाजिक सोच में बदलाव लाया जाय सरकार व स्वैच्छिक संगठन की पहल पर स्वयं सहायता समूह का गठन व संचालन हो रहा है। फिर भी महिलाओं की शक्ति सम्पंनता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के जीवन–यापन कार्यक्रमों का प्रारूण किया जाय जिससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण प्रभावी हो सके, क्योंकि बिना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सशक्तिकरण से स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हरिकृष्ण रावत, समाज शास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार रावत पब्लिकेशन्स, 2009, पृष्ठ, 48.
2. भगवती स्वामी एवं सविता किशोर, नोट–3, पृष्ट,48.
3. गरिमा शर्मा, महिला सशक्तिकरणः नवीन भूमिकाएं एवं चुनौतियॉ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2013, पृष्ट, 44.
4. अजीत कुमार सिन्हा, नोट–18, पृष्ठ, 170.
5. डा0 कृष्ण चन्द्र चौधरी, ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, वर्ष, 59 अंक,10 अगस्त 2013 ग्रामीण विकास मंत्रायल, नई दिल्ली, पृष्ठ,9.
6. मयंक श्रीवास्तव, महिला सशक्तिकरण सामाजिक बदलाव के लिए आवश्यक, कुरूक्षेत्र, वर्ष 59, अंक,10 अगस्त 2013 ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृष्ठ,18.
7. प्रभा आप्टे, भारतीय समाज में नारी क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1996 पृष्ठ,61.

*****